

तारीख दुकम

प्रशासनिक प्रक्रिया-2023

दुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अदकाम जो
इस दुकम की
तामील में
जारी हुए

15.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 कैम्प/कोर्ट श्रीसुरपुर में प्रस्तुत हुई। जिसके मुकदमा नम्बर 23/2022 अनवान विरेन्द्रसिंह वगैरा बनाम किशनसिंह वगैरा है।


वादीगण स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो गया है अतः वाद का जरिये राजीनामा निस्तारण किया जावे तथा सरकारी पैरोकार ने उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने से वाद का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद अवलोकन वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त पैतृक ख़ातेदारी की भूमि ग्राम कानसिंह की सिड पट्टार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के ख़सरा नम्बर 53/17 रकबा 7.2843 हैक्टेयर के रूप में स्थित है, जो पैतृक सम्पत्ति है वह वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है। वाद पत्र के साथ दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये तथा वाद के अंत में यह निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप से ख़ातेदार काइतकार घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ने उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता अपना इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया और उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम प्रतिवादी संख्या 1 के साथ दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वारिसान तस्दीक हेतु वारिसनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कथनों पर मनन किया गया। वादीगण ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत वारिसनामा के अनश्वार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। मौजा कानसिंह की सिड के

रिजिस्ट्रार
सप्लेण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
बाब (जोयपुर)



नामान्तरण संख्या 1165 एवं वर्तमान जमाबंदी से वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। पैतृक सम्पत्ति होने से वादीगण का हक निश्चित है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाबदावा पेश कर घोषणा बाबत सहमति व्यक्त की है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकरण के मध्य कोई विवाद नहीं है इसलिये प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर वाद वादीगण निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 53/17 रकबा 7.2843 हेक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप खानेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल नुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2023 को बड़जलाख भुनाया गया।



(मांगीलाल, आर.ए.एस.)

डिवीजनल प्रभारी
सुपरीम कोर्ट
सहायक कलेक्टर बाप
केम्प श्रीसुरपुरा

अिगरी बमुकदमें इन्नतदई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जान्ना बीवानी)

शिविर प्रभारी सहायक कलक्टर एवं उपग्रण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास श्री मांगीलाल (आर.ए.एस.)

- विरेन्द्रसिंह पुत्र किशनसिंह
- श्रेतसिंह पुत्र किशनसिंह वादीगण नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता रामकंवर पत्नि किशनसिंह जाति राजपूत निवासी खिरदरत तहसील बाप जिला जोधपुर

वादीगण.....

बनाम

- किशनसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी खिरदरत तहसील बाप जिला जोधपुर
- तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला जोधपुर

प्रतिवादीगण.....

मुकदमा संख्या :- 23/2022

दावा बाबत धारा 88 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई करबर मेरे व इजिर राजेन्द्रसिंह सोलकी मिनजानिब मुदई व मोहम्मद रफीक प्रतिवादी संख्या 1 मिनजानिब मुदायलतइ पेड़ा होकर हुकम दिया जाता है कि व अिगरी दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 53/17 रकबा 7.2843 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ संयुक्त रूप ख्रातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप उक्त भूमि रहन मुक्त होने के पश्चात माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना करावें। नीचे

मुतालिक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

तारीख


वम्बूल याबी तक

बाबत

फीस सदी सालाना आज की

को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/05/2023 को जारी की गई।



Signature

(मांगीलाल आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर बाप

कैम्प श्रीसुरपुरा

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलत	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुफरिफ		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीफन का चाहे अिगरी के जरिये बिलाया गया हो न तो बर्न किया जावे।